न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 106/2020

1. कानसिंह पुत्र हीरसिंह राजपूत
2. रूपसिंह पुत्र हीरसिंह राजपूत
3. जब्बरसिंह पुत्र मगसिंह राजपूत
4. बाबूसिंह पुत्र मगसिंह राजपूत
5. चैनसिंह पुत्र मगसिंह राजपूत
6. भगवानसिंह पुत्र मगसिंह राजपूत
7. खम्माकंवर पत्नी मगसिंह राजपूत
   निवासीगण गांव चावडों की ढाणी
   तहसील लूणी, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब ना म

1. डूंगरसिंह पुत्र जोरसिंह राजपूत
2. अचलसिंह पुत्र जोरसिंह राजपूत
3. रणजीत सिंह पुत्र जोरसिंह राजपूत
4. नारसिंह पुत्र जोरसिंह राजपूत
5. रामसिंह पुत्र लिछमणसिंह राजपूत
6. माधोसिंह पुत्र लिछमणसिंह राजपूत
7. शैतानसिंह पुत्र लिछमणसिंह राजपूत के कायममुकामान–
   7.1. भंवरकंवर पत्नी शैतानसिंह राजपूत
   7.2. देवीसिंह पुत्र शैतानसिंह राजपूत
   7.3. जितेन्द्रसिंह पुत्र शैतानसिंह राजपूत
   7.4. रीनूकंवर पुत्री शैतानसिंह राजपूत
   7.5. किनूकंवर पुत्री शैतानसिंह राजपूत (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता भंवरकंवर पत्नी शैतानसिंह राजपूत)
   सभी निवासीगण ग्राम चावडों की ढाणी
   तहसील लूणी, जिला जोधपुर
   7.6. दुर्गाकंवर पुत्री शैतानसिंह राजपूत पत्नी गुलाबसिंह राजपूत
   निवासी उमरलाई, तहसील पचपदरा
   जिला बाडमेर
   7.7. संजुकंवर शैतानसिंह राजपूत पत्नी समन्दरसिंह राजपूत
   निवासी गांव थापण, तहसील सिवाणा
   जिला बाडमेर

रेस्पो.....

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अपर जिला कलेक्टर (प्रथम) जोधपुर दिनांक 25 जुलाई 2016 राजस्व अपील संख्या 25/2015

उपस्थित–
श्री बेनाराम पटेल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री जयदेवसिंह चारण, अधिवक्ता–रेस्पो.

नि र्ण य

दिनांक : 01 अक्टूबर, 2024

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय अपर जिला कलेक्टर (प्रथम) जोधपुर द्वारा राजस्व अपील प्रकरण संख्या 25/2015 डूंगरसिंह व अन्य बनाम कानसिंह आदि में पारित निर्णय दिनांक 25 जुलाई 2016 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। साथ ही एक प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष डूगरसिंह आदि (वर्तमान अपील में रेस्पो.) ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत एक अपील प्रस्तुत कर म्युटेशन संख्या 299 दिनांक 27 जुलाई 2015 ग्राम चावडों की ढाणी अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया। उक्त अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25 जुलाई 2016 को स्वीकार कर ली गयी। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि अपीलाण्ट्स द्वारा ग्राम चवडों की ढाणी स्थित आराजी खसरा संख्या 478 रकबा 87 बीघा 03 बिस्वा के स्थान पर 54 बीघा 15 बिस्वा तथा खसरा संख्या 479 रकबा 54 बीघा 15 बिस्वा के स्थान पर 87 बीघा 03 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने बाबत प्रार्थनापत्र पेश किया था, जो उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा दिनांक 02 जुलाई 2015 को स्वीकार किया गया। तत्पश्चार म्युटेशन संख्या 295 स्वीकृत हुआ जिसमें रकबे के साथ–साथ खातेदारान की स्थिति भी परिवर्तित कर दी गयी, जबकि आदेश मात्र रकबा दुरूस्ती बाबत ही पारित किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट्स द्वारा पुनः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर जमाबंदी संवत 2068–2071 के खाता संख्या 52 व 53 के अनुसार खातेदारान की स्थिति दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया। उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 22 जुलाई 2015 को उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा स्वीकार कर लिया गया और दुरूस्ती के आदेश पारित किये गये, जिसके अनुसरण में म्युटेशन संख्या 299 दिनांक 27 जुलाई 2015 पारित किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष डूंगरसिंह आदि (वर्तमान अपील में रेस्पो.) द्वारा उक्त म्युटेशन संख्या 299 खारिज कराने हेतु अपील पेश की गयी, जो प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा मामले के समग्र तथ्यों पर विचार किये बिना जरिये अपीलाधीन निर्णय स्वीकार कर ली गयी। जो न्यायोचित नहीं है। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने जाहिर किया

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

कि रेस्पो. डूँगरसिंह आदि द्वारा उपखण्ड अधिकारी लूणी के आदेश दिनांक 22 जुलाई 2015 को किसी सक्षम न्यायालय मे कोई चुनौती नहीं दी गयी है, ऐसी स्थिति में उक्त आदेश की पालना में स्वीकृत म्युटेशन संख्या 299 को खारिज करने में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिक भूल की गयी है। अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने के पूर्व अपीलाण्ट्स कानसिंह आदि को सुनवाई का कोई अवसर भी प्रदान नहीं किया गया, इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन निर्णय बाबत अपीलाण्ट्स को समुचित समय में उनके अधिवक्ता द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गयी, अपीलाण्ट्स स्वयं के स्तर पर अन्य अधिवक्ता के मार्फत न्यायालय में जानकारी करने पर दिनांक 14 दिसम्बर 2016 को अपीलाधीन निर्णय बाबत ज्ञान हुआ, तब नकल आदि लेकर बाद आवश्यक कार्यवाही जानकारी की दिनांक से अपीलाण्ट्स द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर अदालत हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी गयी। अतः अपील अपीलाण्ट्स अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे।

जबाब में अधिवक्ता–रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन किया और कथन किया कि अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रय राजपुरोहित प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष वकालतनामा पेश किया गया और अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने के दिन भी उक्त अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित थे। अधिवक्ता की जानकारी स्वयं पक्षकार की जानकारी कानूनन मानी जाती है। ऐसी स्थिति में आलौच्य अपील मियाद बाधित होने से तदनुसार खारिज किये जाने योग्य है। अधिवक्ता–रेस्पो. ने यह भी जाहिर किया कि आलौच्य म्युटेशन संख्या 299 जिस आदेश दिनांक 22 जुलाई 2015 के अनुसरण में पारित किया गया, उस आदेश दिनांक 22 जुलाई 2015 में **"... बाद शुद्धि अमल दरामद योग्य आदेश दिनांक 02.7.2015 के द्वारा ग्राम चावडों की ढाणी के खसरा संख्या 478 रकबा 87.03 के स्थान पर रकबा 54.15 तथा खसरा नम्बर 479 रकबा 54.15 के स्थान पर 87.03 बीघा दर्ज कर राजस्व रेकर्ड दुरूस्ती करने के आदेश दिये गये। किन्तु वक्त नामान्तरकरण इन्द्राज सही नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा आज पुनः प्रार्थनापत्र पेश कर जमाबंदी में दर्ज खातेदारों के हिस्से पूर्ववत ही रखने का निवेदन किया। अतः जमाबंदी संवत 2068–2071 के खाता संख्या 52 व 53 के दर्ज खातेदारों की स्थिति दर्ज अनुसार रखी जावे। केवल खसरों के रकबे की दुरूस्ती करें।"** मगर तहसीलदार लूणी द्वारा आलौच्य म्युटेशन संख्या 299 उक्त आदेश के अनुरूप स्वीकृत नहीं किया गया। अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त म्युटेशन खारिज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। आलौच्य मामले में ग्राम चावडों की ढाणी खसरा संख्या 478 व 479 संबंधित जमाबंदी संवत 2068–2071, उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा प्रकरण संख्या 259 में पारित आदेश दिनांक 22 जुलाई 2015 एवं उक्त आदेश के अनुसरण में स्वीकृत म्युटेशन संख्या 299 का अवलोकन करने से विदित होता है कि आलौच्य मामले में वादग्रस्त आराजियात बाबत खातेदारान के नाम जमाबंदी संवत 2068–2071 के अंकितानुसार ही रखते हुए मात्र इन खसरा नम्बरान की भूमि का रकबा संशोधित किया जाना वांछित था, मगर स्वीकृत म्युटेशन संख्या 299 में रकबे के साथ–साथ खातेदारान की स्थिति भी खसरा नम्बरान बाबत परिवर्तित कर दी गयी। जाहिर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

है कि उक्त म्युटेशन संख्या 299 जमाबंदी संवत 2068–2071 व उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा प्रकरण संख्या 259 में पारित आदेश दिनांक 22 जुलाई 2015 के अनुरूप नहीं होने से प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया जाना पाया जाता है।

जहॉ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता की उपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, अतः जाहिर है कि अपीलाधीन निर्णय बाबत अपीलाण्ट्स को समुचित समय में जानकारी हो गयी थी। ऐसी स्थिति में मियाद–प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि नहीं होने से उक्त प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है। तदनुसार अपील अपीलाण्ट्स मियाद बाधित होने के कारण भी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स मियाद बाधित होने तथा गुणावगुण पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदुनसार खारिज की जाती है और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25 जुलाई 2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01.10.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर